उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या 985 – काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 11 – 17 काविनी एवं वे०प्र० / 08 दिनांक 05 नवम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 12.10.2011 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयानुसार एतद्द्वारा वेतनमान रू० 1200–1800 (दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित वेतनमान रू० 4200–6400) में नियुक्त उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसकी वितरण कम्पनियों तथा उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के ऐसे समस्त कार्मिकों, जिन्हें दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना विषयक कार्यालय ज्ञाप सं० 175–काविनी एवं वे०प्र०–29/पाकालि/09–17 काविनी एवं वे०प्र०/08 दिनांक 19.02.2009 में निहित प्राविधानों यथा ऐसे पद, जिनके पदधारकों को समयबद्ध वेतनमान के अन्तर्गत दिनांक 18.02.2009 अथवा उससे पूर्व तृतीय समयबद्ध वेतनमान के रूप में रू० 8550–13500 का वेतनमान अनुमन्य है और ऐसे पदधारकों के लिये इससे उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं है, उन्हें पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 (9300–34800) एवं ग्रेड–पे रू० 5400/– अनुमन्य करायी गई है, उन्हें तत्काल प्रभाव से (अर्थात इस आदेश के निर्गमन की तिथि से) ग्रेड–पे रू० 5400/ के स्थान पर ग्रेड–पे रू० 6600/– अनुमन्य किया जाता है। इसके फलस्वरूप पे–बैण्ड में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त संशोधित ग्रेड–पे मात्र उपरोक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित मामलो में ही अनुमन्य होगी एवं सामान्य स्थितियों में, पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड–पे की अनुमन्यता कार्यालय ज्ञाप सं० 175–काविनी एवं वे०प्र०–29/पाकालि/09–17काविनी एवं वे०प्र०/08 दिनांक 19.02.2009 एवं तत्क्रम में निर्गत अन्य आदेशों में यथा निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

सं० 985 (I)– काविनी एवं वे०प्र०–29/पाकालि/10 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4- संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ/केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
6- समस्त निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(क्रमशः.......2)

8- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
9- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, बी–17, जे0 रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
10- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
11- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारापोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

14- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
15- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
16- सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
17- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 12.10.2011 को सम्पन्न सत्तासी वीं बैठक के मद सं० (104/11) में लिये गये निर्णय के अनुपालन के सन्दर्भ में।
18- समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मु0), शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
19- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(विनय किशोर श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (का०वि०नी०)